



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2017, शनिवार/पौष 3—पौष 9, 1939  
No. 43] NEW DELHI, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2017, SATURDAY/PAUSA 3—PAUSA 9, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 104.—केंद्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम 1978(1978 का 30) की धारा 123 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में महानिदेशक तटरक्षक भर्ती नियम, 2013 और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अपर महानिदेशक तटरक्षक भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, तटरक्षक संगठन में सामान्य ड्यूटी शाखा अफसरों के पदों की भर्ती की पद्धति विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक महानिदेशक एवं तटरक्षक अपर महानिदेशक, समूह "क" पद, भर्ती नियम 2017 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13 में) विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या संविदा की है



(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या संविदा की है

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. महानिदेशक तटरक्षक (म.नि.त.र.)	* 1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 16 (2,05,400- 2,24,400 रु.)	चयन-सह - योग्यता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति</b> वेतन मैट्रिक्स स्तर 15 (1,82,200-2,24,100 रु.) में तटरक्षक संगठन में ऐसा सेवारत अपर महानिदेशक जिन्होंने एक वर्ष की नियमित सेवा, कुल अठाइस वर्ष की समूह "क" सेवा के साथ की हो।



	<p><b>प्रतिनियुक्ति</b></p> <p>नौसेना की कार्यपालक शाखा का कोई ऐसा अधिकारी</p> <p>(i) जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रखा हो; या</p> <p>(ii) जिसने अधिष्ठायी हैसियत में वेतन मैट्रिक्स स्तर 15 (1,82,200-2,24,100 रु.) में वाइस एडमिरल का रैंक धारण किया हुआ है।</p> <p><b>टिप्पणः</b></p> <p>(i) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति/मंविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(1) रक्षा सचिव	- अध्यक्ष
(2) उप नौसेनाध्यक्ष	- सदस्य
(3) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अपर महानिदेशक (ए डी जी)	* 3 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 15 (1,82,200-2,24,100 रु.)	चयन-सह-योग्यता



(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 (1,44,200-2,18,200 रु.) में तटरक्षक संगठन के साधारण ड्यूटी शाखा के ऐसे सेवारत महानिरीक्षक जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा, कुल सत्ताइस वर्ष की समूह "क" सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-  (1) रक्षा सचिव - अध्यक्ष (2) अपर सचिव - सदस्य (3) महानिदेशक तटरक्षक - सदस्य सचिव	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 11(4)/2017/डी(सीजी)]

सुधीर बाबु मोटाना, अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st December, 2017

**S.R.O. 104.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), and in supersession of the Ministry of Defence, Coast Guard Director General, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2013 and the Ministry of Defence, Coast Guard Additional Director General Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General Coast Guard and Additional Director General Coast Guard, in the Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Director General and Coast Guard Additional Director General Coast Guard, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Papers to be laid on the table of  
Lok Sabha/Rajya Sabha

*Mam*  
AUTHENTICATED



5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director General Coast Guard. (DGCG)	1*(2017)  * Subject to variation depending on work load.	Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Level 16 (Rs 2,05,400-2,24,400)	Selection-cum-merit

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Serving Additional Director Generals of General Duty Branch with one year regular Service in Level 15 in Pay Matrix (Rs. 1,82,200-2,24,100) with total Twenty Eight years Group 'A' Service in Indian Coast Guard.</p> <p><b>Deputation:</b> An officer of the 'Executive Branch of Navy : (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding Vice Admiral's rank in Level 15 (Rs. 1,82,200-2,24,100) of Pay Matrix, in substantive capacity.</p> <p><b>Note I.</b> The departmental officer in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not</p>	<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consists of :</b></p> <p>(1) Defence Secretary - Chairman (2) Vice-Chief of Naval Staff -Member (3) Additional Secretary, Ministry of Defence - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>



<p>be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note II :</b> Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Additional Director General (ADG)	3* (2017) * Subject to variation depending on work load	Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level 15 (Rs. 1,82,200-2,24,100)	Selection-cum-merit

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Serving Inspectors General of General Duty Branch with three years' regular service in Level 14 of Pay Matrix (Rs.1,44,200-2,18,200) with total twenty seven years Group 'A' service in Indian Coast Guard.	<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consists of :</b></p> <p>(1) Defence Secretary – Chairman</p> <p>(2) Additional Secretary, Ministry of Defence – Member</p> <p>(3) Director General Coast Guard – Member Secretary</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 11(4)/2017/D(CG)]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

**का.नि.आ. 105.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उनका संबंध प्लम्बर पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पुणे में प्लम्बर (कुशल, उच्च कुशल श्रेणी-2 और उच्च कुशल श्रेणी-1) समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा सेवा सिविलियन (समूह 'ग' पद) प्लम्बर (कुशल, उच्च कुशल श्रेणी-2 और उच्च कुशल श्रेणी-1) पद भर्ती नियम 2017 है  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।